

संचार मंत्रालय
मांग संख्या 14
दूरसंचार विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	26848.39	4206.32	31054.71	33052.53	5002.75	38055.28	24530.48	5956.75	30487.23	30693.64	9719.72	40413.36
<i>वसूलियां</i>	-6999.20	-0.31	-6999.51	-10000.00	...	-10000.00	-5000.00	-2500.00	-7500.00	-8350.00	-4725.00	-13075.00
<i>प्राप्तियां</i>	-255.00	...	-255.00	-1410.86	...	-1410.86
निवल	19594.19	4206.01	23800.20	23052.53	5002.75	28055.28	18119.62	3456.75	21576.37	22343.64	4994.72	27338.36
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	456.03	...	456.03	516.80	...	516.80	586.14	...	586.14	525.47	...	525.47
2. पेंशन	10900.71	...	10900.71	11675.86	...	11675.86	11675.86	...	11675.86	12209.58	...	12209.58
3. श्रम रोजगार और कौशल विकास	4.57	...	4.57	3.82	...	3.82	4.46	...	4.46
4. <i>विनियामक निकाय</i>												
4.01 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि	85.00	...	85.00	85.00	...	85.00	85.00	...	85.00	90.00	...	90.00
4.02 दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय अधिकरण (टीडी सैट)	16.17	...	16.17	18.14	...	18.14	17.14	...	17.14	18.06	...	18.06
<i>जोड़- विनियामक निकाय</i>	<i>101.17</i>	<i>...</i>	<i>101.17</i>	<i>103.14</i>	<i>...</i>	<i>103.14</i>	<i>102.14</i>	<i>...</i>	<i>102.14</i>	<i>108.06</i>	<i>...</i>	<i>108.06</i>
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	11457.91	...	11457.91	12300.37	...	12300.37	12367.96	...	12367.96	12847.57	...	12847.57
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि												
5. <i>दूरसंचार अवसंरचना के सृजन एवं संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति</i>												
5.01 सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि को अंतरण	7000.00	...	7000.00	10000.00	...	10000.00	5000.00	...	5000.00	8350.00	...	8350.00
5.02 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को क्षति-पूर्ति	853.27	...	853.27	1825.00	...	1825.00	1000.00	...	1000.00	2350.00	...	2350.00
5.03 भारत नेट	6145.48	...	6145.48	8175.00	...	8175.00	4000.00	...	4000.00	6000.00	...	6000.00
5.04 सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि से पूरी की गई राशि	-6998.80	...	-6998.80	-10000.00	...	-10000.00	-5000.00	...	-5000.00	-8350.00	...	-8350.00
<i>निवल</i>	<i>6999.95</i>	<i>...</i>	<i>6999.95</i>	<i>10000.00</i>	<i>...</i>	<i>10000.00</i>	<i>5000.00</i>	<i>...</i>	<i>5000.00</i>	<i>8350.00</i>	<i>...</i>	<i>8350.00</i>
रक्षा स्पेक्ट्रम												
6. <i>रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क</i>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
6.01	केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण	2500.00	2500.00	...	4725.00	4725.00	
6.02	रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर आधारित नेटवर्क	...	3755.00	3755.00	...	4500.00	4500.00	...	2500.00	2500.00	...	4725.00	4725.00
6.03	घटाएं- केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में से पूरी की गई राशि	-2500.00	-2500.00	...	-4725.00	-4725.00	
	<i>निवल</i>	...	3755.00	3755.00	...	4500.00	4500.00	...	2500.00	2500.00	...	4725.00	4725.00
दूरसंचार विभाग परियोजनाएं													
<i>7. मानव संसाधन प्रबंधन</i>													
7.01	राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान के लिए भौतिक अवसंरचना	6.70	31.13	37.83	12.66	111.15	123.81	11.91	51.99	63.90	28.66	50.20	78.86
<i>8. बेतार आयोजना तथा समन्वय</i>													
8.01	बेतार आयोजना एवं समन्वय	9.84	0.01	9.85	13.79	1.00	14.79	13.43	1.00	14.43	13.97	1.00	14.97
8.02	बेतार निगरानी सेवाएं	31.22	2.92	34.14	38.80	35.00	73.80	37.30	13.00	50.30	38.87	24.77	63.64
	<i>जोड़- बेतार आयोजना तथा समन्वय</i>	41.06	2.93	43.99	52.59	36.00	88.59	50.73	14.00	64.73	52.84	25.77	78.61
9.	दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र	...	2.33	2.33	...	14.12	14.12	...	7.40	7.40	...	20.11	20.11
10.	प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन	1.44	...	1.44	4.00	...	4.00	3.72	...	3.72	20.20	...	20.20
11.	उपग्रह गेटवे की स्थापना (बीएसएनएल को सहायता)	...	2.62	2.62
12.	कार्यालय भवन का निर्माण	50.00	50.00	...	0.01	0.01	...	0.05	0.05
13.	दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएसईसी) सूचना राजमार्ग परियोजना	5.94	...	5.94
14.	स्वच्छता कार्रवाई योजना के लिए विशेष सहायता	15.00	...	15.00	5.00	...	5.00	7.00	...	7.00	8.00	...	8.00
15.	दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र	...	15.00	15.00	...	27.00	27.00	...	15.60	15.60
16.	दूरसंचार कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (टी-सर्ट)	...	12.50	12.50	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00
17.	केन्द्रीय उपस्कर पहचान रजिस्टर (सीईआईआर)	...	12.50	12.50	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00
18.	अमरनाथ यात्रा के लिए दूरसंचार संपर्क मुहैया कराने हेतु बीएसएनएल को निधियां प्रदान करना	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
19.	5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड	...	35.00	35.00	...	134.48	134.48	...	36.75	36.75	...	38.59	38.59
20.	<i>चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम</i>												
20.01	दूरसंचार क्षेत्र के लिए नवाचार का संवर्धन और भावी प्रौद्योगिकियों को सहेजना	50.07	...	50.07
जोड़-दूरसंचार विभाग परियोजनाएं													
72.14 114.01 186.15 75.25 402.75 478.00 74.36 155.75 230.11 160.77 164.72 325.49													
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं													
7072.09 3869.01 10941.10 10075.25 4902.75 14978.00 5074.36 2655.75 7730.11 8510.77 4889.72 13400.49													
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय													
स्वायत्त निकाय													
21.	टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)	287.00	...	287.00	260.00	...	260.00	260.00	...	260.00	273.00	...	273.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम													
<i>22. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता</i>													
22.01	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी)/सीडीएमए स्पेक्ट्रम की	382.90	...	382.90	384.00	...	384.00	384.00	...	384.00	384.00	...	384.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
22.02	वापसी/एमटीएनएल बांडों/ एफटीटीएच पर व्याज के भुगतान के लिए आर्थिक सहायता	145.26	337.00	482.26	5.01	100.00	105.01	5.00	50.00	55.00	300.00	105.00	405.00
22.03	भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड को वित्तीय राहत/अनुप्रेरण	983.18	...	983.18
	भारत संचार निगम लिमिटेड को ऋण माफी	-983.18	...	-983.18
	<i>निवल</i>
22.04	भारत संचार निगम लिमिटेड को ऋण पर व्याज माफी	427.68	...	427.68
	<i>निवल</i>	-427.68	...	-427.68
22.05	भारतीय टेलीफोन उद्योग लि. के बकाया ऋणों को बट्टे खाते डालना	255.00	...	255.00
	<i>निवल</i>	-255.00	...	-255.00
22.06	भारत संचार निगम लि. को बीडब्ल्यूए/सीडीएमए स्पेक्ट्रम के प्रारंभिक प्रभागों को लौटाना	224.67	...	224.67
22.07	एचपीआईएल में निवेश	751.00	751.00
	<i>जोड़- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता</i>	<i>752.83</i>	<i>337.00</i>	<i>1089.83</i>	<i>389.01</i>	<i>100.00</i>	<i>489.01</i>	<i>389.00</i>	<i>801.00</i>	<i>1190.00</i>	<i>684.00</i>	<i>105.00</i>	<i>789.00</i>
अन्य													
23.	अन्तरराष्ट्रीय सहयोग	24.36	...	24.36	27.90	...	27.90	28.30	...	28.30	28.30	...	28.30
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय		1064.19	337.00	1401.19	676.91	100.00	776.91	677.30	801.00	1478.30	985.30	105.00	1090.30
कुल जोड़		19594.19	4206.01	23800.20	23052.53	5002.75	28055.28	18119.62	3456.75	21576.37	22343.64	4994.72	27338.36
ख. विकासात्मक शीर्ष सामान्य सेवाएं													
1.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	10900.71	...	10900.71	11675.86	...	11675.86	11675.86	...	11675.86	12209.58	...	12209.58
जोड़-सामान्य सेवाएं		10900.71	...	10900.71	11675.86	...	11675.86	11675.86	...	11675.86	12209.58	...	12209.58
सामाजिक सेवाएं													
2.	श्रम, रोजगार और कौशल विकास	4.57	...	4.57	3.82	...	3.82	4.46	...	4.46
जोड़-सामाजिक सेवाएं		4.57	...	4.57	3.82	...	3.82	4.46	...	4.46
आर्थिक सेवाएं													
3.	अन्य संचार सेवाएं	8237.45	...	8237.45	9829.30	...	9829.30	5325.17	...	5325.17	8740.11	...	8740.11
4.	सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	456.03	...	456.03	516.80	...	516.80	586.14	...	586.14	525.47	...	525.47
5.	दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	337.00	337.00	...	100.00	100.00	...	50.00	50.00	...	105.00	105.00
6.	अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	3869.01	3869.01	...	4357.75	4357.75	...	3093.52	3093.52	...	4409.72	4409.72
7.	अन्य संचार सेवाओं के लिए ऋण	51.00	51.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-आर्थिक सेवाएं	8693.48	4206.01	12899.49	10346.10	4457.75	14803.85	5911.31	3194.52	9105.83	9265.58	4514.72	13780.30
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	1026.00	...	1026.00	528.63	...	528.63	864.02	...	864.02
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	545.00	545.00	...	262.23	262.23	...	480.00	480.00
जोड़-अन्य	1026.00	545.00	1571.00	528.63	262.23	790.86	864.02	480.00	1344.02
कुल जोड़	19594.19	4206.01	23800.20	23052.53	5002.75	28055.28	18119.62	3456.75	21576.37	22343.64	4994.72	27338.36

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारतीय टेलीफोन उद्योग	337.00	...	337.00	100.00	...	100.00	50.00	337.00	387.00	105.00	...	105.00
2. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	...	526.13	526.13	...	895.84	895.84	...	431.29	431.29	...	498.26	498.26
3. सी डॉट	...	147.05	147.05	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00
4. हेमिस्फेयर प्रापर्टीज लि0	751.00	...	751.00
5. भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	...	6020.00	6020.00	...	16986.00	16986.00	...	8857.00	8857.00	...	6500.00	6500.00
6. टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इण्डिया लि0	...	47.01	47.01	...	46.29	46.29	...	50.10	50.10	...	47.64	47.64
7. भारत संचार निगम लिमिटेड	...	5109.00	5109.00	...	7606.00	7606.00	...	5842.00	5842.00	...	6725.00	6725.00
जोड़	337.00	11849.19	12186.19	100.00	25684.13	25784.13	801.00	15667.39	16468.39	105.00	13920.90	14025.90

1. **सचिवालय- आर्थिक सेवाएं:** यह प्रावधान दूरसंचार विभाग और प्रशासन महानिदेशालय, जिसमें सीसीए/टर्म प्रकोष्ठ, दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र, प्रशासक यूएसओ निधि तथा केन्द्रीयकृत निगरानी प्रणाली शामिल है, से संबंधित हिस्से के लिए संचार मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए किया गया है।

2. **पेंशन:** यह प्रावधान दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशनगत लाभों के लिए किया गया है, जिसमें दिनांक 1.4.2014 से भारत संचार निगम लिमिटेड तथा एमटीएनएल में आमेलित किए गए कर्मचारी शामिल हैं।

3. **श्रम रोजगार और कौशल विकास:** यह प्रावधान पं. दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान खोलने के लिए प्रायोगिक योजना हेतु है।

4. **विनियामक निकाय:** यह प्रावधान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को निधि अंतरित करने तथा प्राधिकरण के कार्यालय भवन का निर्माण करने के लिए है। यह प्रावधान दूरसंचार विवाद समाधान तथा अपीलीय अधिकरण से संबंधित व्यय के लिए है।

5. **दूरसंचार अवसंरचना के सृजन एवं संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति:** यह प्रावधान दूरसंचार अवसंरचना का सृजन करने तथा इसका संवर्धन करने तथा सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोनो का प्रचालन और रख-रखाव करने सहित ग्रामीण तथा दूरदराज के इलाकों में लोगों को विभिन्न दूरसंचार सेवाओं तक अभिगम प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति करने के लिए है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी व्यवस्था की गई है। इसमें सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरण हेतु प्रावधान भी शामिल है।

- 5.03. **दूरसंचार अवसंरचना के सृजन एवं संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति:** देश में सभी पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अपेक्षित टेलीकॉम अवसंरचना के सृजन के लिए भारत नेट परियोजना और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राडबैंड सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए सेवा प्रदाताओं को भेद-भाव रहित पहुंच सुसाध्य बनाने के लिए प्रावधान है।
6. **रक्षा सेवाओं के लिए आप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क:** यह प्रावधान रक्षा सेवाओं के लिए आप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क प्रदान करने के लिए है।
7. **मानव संसाधन प्रबंधन:** यह प्रावधान राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एनआईसीएफ) हेतु भौतिक अवसंरचना तैयार करने के लिए है।
8. **बेतार आयोजना तथा समन्वय:** (i) यह प्रावधान बेतार निगरानी संगठन के व्यय हेतु है, जो रेडियो आवृत्ति प्रबंधन हेतु निगरानी प्रेक्षकों के आधार पर तकनीकी और संबद्ध आंकड़े उपलब्ध करवाता है, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो विनियमों को लागू करवाता है तथा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कतिपय सांविधिक प्रकरणों का निष्पादन करने के साथ-साथ कारगर राष्ट्रीय रेडियो आवृत्ति प्रबंधन के लिए रेडियो ट्रॉसमिशन के संबंध में चौबीसों घण्टे निगरानी करता है। इसमें सिविल कार्यों पर होने वाले व्यय का प्रावधान भी शामिल है; तथा (ii) यह प्रावधान बेतार आयोजना तथा समन्वय स्कंध से संबंधित व्यय के लिए है। यह स्कंध ट्रॉसमिटिंग और रिसीविंग स्टेशनों के लिए भारतीय बेतार टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत लाइसेंस जारी करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बेतार प्रचालनों की जांच करता है।
9. **दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र:** यह प्रावधान दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र से संबंधित व्यय के लिए है।
10. **प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन:** यह प्रावधान प्रौद्योगिकी विकास तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए है।
11. **उपग्रह गेटवे की स्थापना (बीएसएनएल को सहायता):** यह प्रावधान बीएसएनएल के लिए सेटेलाइट गेटवे सहायता की स्थापना करने के लिए किया गया है।
12. **कार्यालय भवन का निर्माण:** यह प्रावधान दूरसंचार विभाग के नए कार्यालय भवन का निर्माण करने के लिए किया गया है।
13. **दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) सूचना राजमार्ग परियोजना:** यह प्रावधान दक्षिण एशियाई उप- क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) सूचना हाइवे परियोजना के लिए किया गया है।
14. **स्वच्छता कार्रवाई योजना के लिए विशेष सहायता:** यह प्रावधान स्वच्छता से संबंधित कार्य योजना के लिए विशेष सहायता हेतु किया गया है।
15. **दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र:** यह प्रावधान दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र के लिए किया गया है।
16. **दूरसंचार कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (टी-सटी):** यह प्रावधान दूरसंचार कम्प्यूटर आपातकालीन प्रत्युत्तर दल (टी-सीईआरटी) हेतु किया गया है।

17. **केन्द्रीय उपस्कर पहचान रजिस्टर (सीईआईआर):** यह प्रावधान केन्द्रीय उपस्कर पहचान रजिस्टर (सीईआईआर) हेतु किया गया है।
18. **5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड:** यह प्रावधान 5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड के लिए है।
19. **चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम:** यह प्रावधान दूरसंचार क्षेत्र की भावी प्रौद्योगिकियों के नवाचा और इनक्यूबेशन के संवर्धन के लिए है।
20. **टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट):** यह प्रावधान टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) पर होने वाले व्यय के लिए किया गया है।
21. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता:** (i) यह प्रावधान स्पेसक्रेम प्रभारों की वापसी/सीडीएमए स्पेसक्रेम प्रभारों के रूप में इच्छिटी लगाने के बदले में एमटीएनएल द्वारा जारी बाण्डों के ब्याज का भुगतान करने तथा भारतीय न्यूनतम वैकल्पिक कर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है; (ii) यह प्रावधान भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड को वित्तीय राहत देने/इच्छिटी लगाने के लिए किया गया है।
22. **अन्तरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के लिए किया गया है।